14 साल की बेटी के सामने पति ने की फावड़े से पत्नी की निर्मम हत्या

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

सोनिया विहार थाना इलाके में एक पति ने अपनी 14 साल की बेटी के सामने अपनी पत्नी की फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी। आरोपित ने पत्नी पर तब तक वार किए जब तक उसका दम नहीं निकल गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर में बैठ गया। पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।

पकड़े गए आरोपी का नाम राम शंकर शर्मा है। मृतका का नाम अनीता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल फावड़ा कब्जे में ले लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, अनीता, साढ़े चार पुस्ता, सोनिया विहार में सपरिवार रहती थी। परिवार में पति राम शंकर, बेटा सौरभ और बेटी शालू है। सौरभ परिवार से अलग अपनी पत्नी के साथ मंगोलपुरी में रहता है। अनीता घर में सिलाई सेंटर चलाती थीं, जबकि प्रेम शंकर पिछले काफी वक्त से बेरोजगार था। अनीता सिलाई सेंटर की कमाई से अपना घर चलाती थीं। अनीता के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही आरोपी छोटी-छोटी बातों को लेकर उससे झगड़ा करता था। अक्सर वह अनीता को मारता पीटता था। कई बार मामला थाने तक गया, दोनों के बीच घरेलू कलह का मामला कड़कड़डूमा कोर्ट में भी चल रहा था। आरोपी को यह पसंद नहीं था कि अनीता सिलाई सेंटर चलाए।

खास बातें

- पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ा
- कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहा था घरेलू कलह का मामला

पीछे से सिर में मारा था फावड़ा

बेटी शालू ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे उसकी मां नहाने जा रही थी। इसी दौरान उसके पिता ने पीछे से उसकी मां के सिर पर फावड़े से वार कर दिए। मां को बचने का मौका तक नहीं मिला। उसने अपनी मां को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन पिता के सिर पर खून सवार था। मदद के लिए शालू ने पड़ोसियों को बुलाया, लेकिन तब तक उनकी मां की मौत हो चुकी थी।

खबर संक्षेप

लूटपाट करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली। दक्षिणी पूर्वी जिले की सरिता विहार पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर से लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान विक्की और संजय के तौर पर हुई है। दोनों संगम विहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। इनके पकड़े जाने से पुलिस ने दो केस सुलझाने का दावा किया है। डीसीपी आरपी मीणा के अनुसार 20 मई की शाम करीब साढ़े पांच बजे दो पुलिसकर्मी पिकेट ड्यूटी पर थे। इन्होंने ओखला लूप से अंडरपास की ओर जा रहे दो लोगों को पकड़ लिया। उनके पीछे एक शख्स चोर चोर चिल्लाते हुए आ रहा था। पीड़ति ने पुलिस स्टाफ को बताया कि वह पेशे से टैक्सी चालक है। दोनों लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल से संगम विहार जाने के लिए टैक्सी हायर की थी। जब वह टैक्सी स्टार्ट करने लगा तभी एक ने उसका जोर से गला दबा दिया। टैक्सी भी रुकवा ली। इसके बाद दोनों ने उसका मोबाइल लूटा और भाग गए।

नोटों की गड्डी का लालच देकर महिला को ठगा

नई दिल्ली। विवेक विहार थाना इलाके में नोटों की गड्डी का लालच देकर एक बुजुर्ग महिला के साथ ठगी हो गई। आरोपियों ने नोटों की जगह पीड़िता को कागज की रद्दी थमा दी। आरोपी पीड़िता से उसके सोने के कड़े, अंगूठी व बाली लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता राधा रानी (60) की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, राधा रानी, बड़ा बाजार, शाहदरा इलाके में सपरिवार रहती हैं। वह मानसरोवर पार्क इलाके में काम करती हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे वह घर से मानसरोवर पार्क के लिए निकली। इस दौरान उन्हें याद आया कि गैस की बुकिंग करानी है। वह बुकिंग कराने के लिए विवेक विहार के ज्वाला नगर जाने लगी। जैसे ही वह ज्वाला नगर के पास पहुंची, तभी उन्हें वहां एक युवक मिला और वह उनसे एटीएम बूथ के बारे में पूछने लगा। इसी दौरान दोनों आगे बढ़ने लगे।

देशभर के सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप

ऑनलाइन चीटिंग केस में नाइजीरियाई नागरिक पकड़ा

द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने ठगी के आरोप में नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोरोना महामारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से दो लैपटॉप, आठ मोबाइल फोन, 25 मोबाइल व बेसिक कीपैड, 18 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, दो पेन ड्राइव, दो इंटरनेट डोंगल और 50 हजार रुपए नगदी बरामद की हैं। आरोपी का नाम चियूइकेम डेनियल (41) बताया गया है।

हरिभूमि न्यूज़ ⏭ नई दिल्ली

डीसीपी संतोष कुमार मीणा के अनुसार इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम मोहन गार्डन थाने के एक ठगी के मामले की जांच कर रही थी। मोसीन खान नामक शख्स ने हाल ही में 10 हजार रुपए ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसका एक रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव है और अस्पताल में भर्ती था। डॉक्टर ने उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम करने के लिए बोला था।

कई जगहों से निराशा हाथ लगने के बाद सोशल मीडिया के जरिए उसे एक शख्स का नंबर प्राप्त हुआ था। उस नंबर पर बात करने के बाद प्रत्येक इंजेक्शन के एवज में 25 हजार रुपए की डिमांड की गई थी। पीड़ित ने 10 हजार रुपए एडवांस के तौर पर बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। जांच के दौरान एसबीआई अकाउंट की डिटेल्स और मोबाइल की सीडीआर निकलवाई गई। आखिर में 19 मई को आरोपी को दक्षिण दिल्ली के खानपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि 3 साल पहले भारत मेडिकल वीजा पर आया था। वीजा अवधि खत्म होने के बाद अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लोगों से ठगी की वारदात करने लगा।

कोरोना महामारी से पहले यह लोग कस्टम क्लीयरेंस और महंगे गिफ्ट भेजने की आड़ में लोगों को चूना लगा रहे थे। आरोपी पहले फेसबुक पर लोगों से दोस्ती करते है और फिर उन्हें महंगे गिफ्ट भेजने का लालच देकर अपने जाल में लेते है।

- रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर हाल ही में की थी 10 हजार की ठगी

रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली। डाबड़ी पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। इसने हाल ही में रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर एक शख्स को 38 हजार रुपए का चूना लगाया था। पुलिस ने इसके पास से ठगी में इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस इसके दूसरे साथी की तलाश में छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सागर बताया गया है। पुलिस के अनुसार 15 मई को महावीर एनक्लेव पालम के रहने वाले जॉन पी वर्गीस ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्हें अपने एक रिश्तेदार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें एक मोबाइल नंबर मिला था। बात करने पर 38 हजार में इंजेक्शन देने की बात तय हुई थी। पीड़ित से 18 हजार बतौर एडवांस लिए गए थे। यह रकम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में मंगवाई गई थी। कुछ समय बाद आरोपी ने बाकी की रकम 18 हजार भी उनसे ट्रांसफर करवा ली थी। लेकिन इसके बाद भी इंजेक्शन नहीं भेजा गया था। डाबड़ी थाने की पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच सब इंस्पेक्टर विकास कुमार को दी। एसएचओ सुरेंद्र सिंह संधू के नेतृत्व में उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स और मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई गई। इसके बाद बाबा फरीद पुरी, दिल्ली से सागर चौरसिया नामक ठग को गिरफ्तार कर लिया। सागर ने बताया कि वह अकरम खान के लिए काम करता है। अकरम सोशल मीडिया पर अजय नाम से लोगों को अपने जाल में फंसाता है। इससे पहले वह लोन मुहैया कराने के नाम पर ठगी करता था। लेकिन हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान कोविड दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी का मौका मिला। आरोपी अकरम सागर के बैंक खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम ट्रांसफर करवाने में करता था। इसके एवज में सागर चौरसिया को 10 परसेंट कमीशन दिया जाता था। आरोपी सागर चौरसिया वेस्ट पटेल नगर के का रहने वाला है और बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। पुलिस को इसके पास से बरामद महंगे फोन से व्हाट्सएप चैट भी बरामद की है जिसमें यह अकरम के संपर्क में था। पुलिस मुख्य आरोपी अकरम उर्फ अजय की तलाश में जुटी हुई है।

लाल किला हिंसा मामला

पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू समेत 16 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

26 जनवरी को लाल किला में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया गया है। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस केस में हरियाणा के करनाल से अरेस्ट किया था, जिसे बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हिंसा कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई थी, जहां सैंकड़ों उपद्रवियों ने जबरन लाल किला में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया था। उपद्रवियों ने लाल किले पर कब्जा कर तिरंगा के बगल में धार्मिक झंडा तक फहरा दिया था। इस दिन लाल किला के अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किसानों ने जमकर बवाल काटा था। उस दिन हुई हिंसा में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बाद में स्थिति के कंट्रोल में हो जाने पर पुलिस ने 44 केस दर्ज कर 150 के करीब लोगों को अरेस्ट किया।

गोदाम से 200 ऑक्सीमीटर उड़ा ले गए बदमाश

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

- सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात
- आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

शास्त्री पार्क थाना इलाके में एक कारोबारी के गोदाम से बदमाश 200 ऑक्सीमीटर चोरी हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हिमांशु जायसवाल (27) की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान कर उन्हें तलाशने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक, हिमांशु जायसवाल, पूर्वी आजाद नगर, शाहदरा में सपरिवार रहता है। उसका मेडिकल उपकरण का कारोबार हैं। शास्त्री पार्क के डीडीए फ्लैट के पास उसका एक मकान है। मकान में नीचे उसने एक गोदाम बना रखा है, जिसमें ऊपर कमरों में किराएदार रहते हैं। बुधवार को किराएदार ने उन्हें फोन कर बताया कि गोदाम के पीछे के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। वह मौके पर पहुंचे और जांच की तो 200 ऑक्सीमीटर गायब मिले। उन्होंने पड़ोसी की सीसीटीवी फुटेज की जांच कि दो रिक्शे में बदमाश ऑक्सीमीटर को लादते हुए कैद मिले। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

मोहल्ला क्लीनिक में हुई चोरी

नई दिल्ली। सीलमपुर थाना इलाके में स्थित गुरुद्वारे के पास एक मोहल्ला क्लीनिक में चोरी हो गई। पुलिस ने दिलशाद निवासी मो. यूसुफ की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वह मोहल्ला क्लीनिक में एमटीडब्ल्यू के पद पर कार्यरत हैं। बुधवार को जब वह क्लीनिक पर पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा हुआ है। बदमाश क्लीनिक से एलईडी टीवी, पंखा, मोटर समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं। मो.यूसुफ की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है।

मवेशियों को अवैध तरीके से मारने वाले तीन चढ़े हत्थे

नई दिल्ली। आउटर जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जोकि मवेशियों को अवैध तरीके से मारते थे। पुलिस ने गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम शानू (23), तंजीम (23)और मोहसिन (30) है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल एक कार और चाकू बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, रणहौला थाने में गत 18 मार्च और चार मई को एक खाली प्लॉट में मवेशियों को अवैध तरीके से काटे जाने के मामले दर्ज किए गए थे। मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने का जिम्मा लोकल पुलिस के अलावा स्पेशल स्टाफ को सौंपा गया। इसी दौरान एसीपी सुभाष वत्स और इंस्पेक्टर अजमेर सिंह को आरोपियों के बारे में सूचना मिली थी।

सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
CIN NO.: L65999DL1985PLC019846
पंजी. कार्यालय : ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट्स, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110092
Phone No.: 011-22727486,
Email: info@sidhmanagement.in,
Website: www.sidhmanagement.in

सूचना

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं घोषणा अपेक्षाएं) नियमनों, 2015 के नियमन 47 के साथ पठित नियमन 29 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त चतुर्थ तिमाही और वर्ष हेतु अंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा एजेंडा के अनुरूप अन्य मामलों पर विचार करने और अनुमोदन करने अथवा रिकार्ड पर लेने के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 31 मई 2021 को पूर्वा. 11:30 बजे इसके पंजीकृत कार्यालय ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट्स, 25 आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 में आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा बनाई गई आचार संहिता के साथ पठित सेबी (अनाधिकृत व्यापार निषेध) नियमनों 2015 के तहत ट्रेडिंग विंडो कम्पनी के सभी पदनामित व्यक्तियों और उनके सम्बन्धियों हेतु 01 अप्रैल 2021 से 02 जून 2021 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लि.
हस्ता/-
दिनेश शर्मा
पूर्ण-कालिक निदेशक
डीआईएन : 07526355
स्थान : दिल्ली
दिनांक : 21.05.2021

TENDER NOTICE

In pursuance of the orders contained in Circle Office letter **No. Bldg/3-139/82/Coll.I Dated 19.03.2021** the sealed Tenders are invited for suitable accommodation measuring about **400 Square feet** of carpet area preferably on ground floor in the surrounding area of **Hauz Qazi, Delhi-110006** for housing a Post Office. The accommodation offered should be one hall centrally located near Hauz Qazi, Delhi-110006 and easily accessible to public as well as Mail Lorries.

1. Tender should be addressed to the undersigned by name super scribed **"TENDER OF BUILDING FOR Hauz Qazi PO"** and should reach to this office before **13.00 Hrs. on 14th June 2021**. The tenders will be opened on the same date i.e. **14th June 2021 at 15.00 Hrs.** in the presence of such tenderers who may wish to be present.
2. Applicant will be required to provide proof of ownership along with application the Offer must have clear title of the property.
3. As per Post Office requirement antenna /Tower will also be installed in the rented premises and it will not harm the interest of landlord / landlady.
4. The building offered should have independent water and electricity supply and lavatory arrangements. A Sketch map of accommodation offered should be attached stating acceptable rent and others.
5. A lease deed shall have to be executed by the owner in the prescribed form (Genl-8) for a minimum period of 5 years subject to renewal according to terms and conditions of the deed.
6. The department does not have own any responsibility of taxes except the consumption charges of electricity and water supply for which separate meters will have to be provided by the landlord at his own cost before opening the post office in the accommodation offered and minor change /repairs to suit the post office has to be arranged by the landlord at his own cost.
7. Additions/alterations in the building desired by the department will have to be carried out by the landlord before the building is occupied.
8. The tenders received after prescribed date and time will not be entertained and rejected straight away.

The undersigned reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason whatsoever.

(Suresh Kumar Bhardwaj)
Supdt. of Post Offices
New Delhi Central Division
New Delhi-110001.

एक माह पहले हुई थी शादी

नवविवाहिता पर पति को जहर देने का आरोप

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

जाफराबाद थाना इलाके में शादी के बाद एक नवविवाहिता ने अपने गांव के लड़कों से फोन पर बात करना बंद नहीं किया। इसी बात को लेकर दंपति के बीच झगड़ा होने लगा। महिला ने अपने देवर से काकरोच मारने वाला जहरीला पदार्थ मंगाया और दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। दूध पीने के बाद पीड़ित की तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने पीड़ित धर्मेंद्र (25) की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक, धर्मेंद्र कुमार, मौजपुर, जाफराबाद इलाके में सपरिवार रहता हैं। वह कंप्यूटर पर कढ़ाई का काम करता हैं। धर्मेंद्र के अनुसार, पिछले माह गत 23 अप्रैल को उसकी शादी बिहार के नवादा स्थित एक गांव की रहने वाली निभा से हुई थी। उसका आरोप है कि शादी के एक हफ्ते बाद तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी गांव के कुछ लड़कों से फोन पर बात करने लगी। इस दौरान उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी और लगातार फोन पर बात करती रही। बुधवार को भी गांव के लड़कों से फोन पर बात करने को लेकर दोनों बीच झगड़ा हो गया। धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को डांट दिया। आरोप है कि इसके बाद निभा ने अपने देवर ललित को रुपये देकर काकरोच मारने वाला जहरीला पदार्थ मंगाया। बुधवार रात करीब 11 बजे सोते समय निभा ने जहरीले पदार्थ को दूध में मिलाकर अपने पति को पिला दिया।

दूध पीते ही होने लगी उल्टियां

जहरीले पदार्थ के कुछ टुकड़े गिलास में नीचे रह गए। धर्मेंद्र ने परिजनों को इस बारे में बताया। फिर कुछ देर बाद उसे उल्टी होने लगी। बृहस्पतिवार सुबह तक धर्मेंद्र की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो परिजन उसे लेकर जग प्रवेश चंद्र अस्पताल गए, जहां उपचार शुरू किया गया।

- जाफराबाद थाना इलाके का मामला
- पीड़ित की तबीयत खराब होने पर कराया अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

दो घोषित बदमाश अरेस्ट

- वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे बदमाश
- आरोपियों के पास से चोरी के चार मोबाइल बरामद

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

राज पार्क थाना पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे दो घोषित बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम कन्हैया उर्फ रवि और मनोज है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन बरामद किए है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस चार मामले सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, राजपार्क थाने की पुलिस इलाके में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए इलाके में गश्त कर रही है। कांस्टेबल सुन्नी और प्रवीण भी शनि बाजार इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें दो लड़के संदिग्ध हालात में घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे थे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को आरोपियों के पास से चार फोन मिलें। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी मनोज 10 और कन्हैया 13 वारदातों में शामिल रहा है।